भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1499

दिनांक 25 जुलाई 2017 के लिए प्रश्न

विषय: राष्ट्रीय पशुधन मिशन

1499. श्री ओम प्रकाश यादवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय पशुधन मिशन का ब्यौरा क्या है और इस मिशन के माध्यम से लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत पशुधन का बीमा किए जाने के प्रावधन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सुदर्शन भगत

(क) सरकार 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) को कार्यान्वित कर रहा है और देश में पशुधन सेक्टर विशेष रूप से जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी गतिविधियों को कवर करने के व्यापक उद्देश्य से वर्तमान वर्ष में भी जारी रखे हुए है। यह मिशन गुणवत्तापूर्ण आहार तथा चारे की उपलब्धता, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार आदि की उपलब्धता में सुधार करने पर फोकस करते हुए पशुधन सेक्टर के धारणीय विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें निम्नलिखित चार उप-मिशन हैं:

1. पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास संबंधी उप-मिशन
3. आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन
4. कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा विस्तार

उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन लाभार्थी किसानों को निधियन सहायता दी गई, उनकी संख्या अनुबंध-I पर दी गई है।

(ख) जी हां। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) राज्य सरकारों के सहयोग से वर्ष 2014-15 से पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन के अधीन जोखिम प्रबंधन और बीमा घटक का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएलएम के पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन के घटक के रूप में 'जोखिम प्रबंधन और बीमा' देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। देशी/संकर नस्ल दुधारू पशु, भारवाही पशु (घोड़े, गधे, खच्चर, ऊँट, टट्टू और गोपशु/नर भैंस) तथा अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन) 'जोखिम प्रबंधन और बीमा' की परिधि के अधीन हैं। सब्सिडी का लाभ भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के अलावा सभी पशुओं के लिए प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 पशु तक सीमित है। भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के मामले में, सब्सिडी का लाभ 'गोपशु यूनिट' के आधार पर सीमित है और एक गोपशु यूनिट 10 पशुओं अर्थात् भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के बराबर है। उक्त दर्शाये गये पशु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कवर किये गये हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2014-15 के दौरान बिहार राज्य की सरकार को एनएलएम के अंतर्गत 692.75 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें से 44.21 लाख रुपए की राशि अव्ययित है। वर्ष बिहार राज्य सरकार के पास अव्ययित राशि होने के कारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निधि जारी नहीं की जा सकी।

.....

अनुबंध- I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन लाभार्थी किसानों को निधियन सहायता दी गई उनकी संख्या

घटक	2014-15	2015-16	2016-17
उत्पादकता संवर्धन (ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास): निधियन सहायता प्राप्त ग्रामीण घरेलू लाभार्थियों की संख्या	145132	16386	214177
उद्यमशीलता विकास तथा रोजगार सृजन	14488	12053	6440
पशुधन बीमा योजना के लाभार्थी	3,62,529	5,63,560	1,09,690
हस्तचालित चॉफ कटर	21516	3634	600
विद्युत चालित चॉफ कटर	9307	12351	7522
साइलेज बनाने वाली यूनिटें	2272	56	1495